जनसत्ता



# घुसपैठ की घाटी

जब भी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस आता है, आतंकवादी संगठन अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए सक्रिय हो उठते हैं। मगर इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की या फिर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर घुसपैठ कराने की कोशिश की गई, वह उनकी बौखलाहट का ही संकेत है। मगर भारतीय सुरक्षा बलों ने उनके इरादे को नाकाम कर दिया। श्रीनगर की बाहरी सीमा पर जैश-ए-मोहम्मद के दो दहशतगर्दों को मार गिराया। यों यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जब भी उसे दहशतगर्दों को सीमा पार कराना होता है, वह भारतीय सेना का ध्यान बंटाने की कोशिश करती है। खासकर सर्दी के मौसम में जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, उसे घुसपैठ कराने का अच्छा मौका नजर आता है। पर इस गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। इससे निस्संदेह उनकी हताशा और बढ़ी होगी।

दरअसल, पिछले कुछ महीनों से भारतीय सुरक्षा बलों के सघन तलाशी अभियान और आतंकी ठिकानों पर कड़ी नजर रखने का नतीजा यह हुआ है कि घाटी में दहशतगर्दी पर काफी हद तक लगाम लगी है। अलगाववादी संगठनों के बैंक खातों पर शिकंजा कसने और सीमा पार से मिलने वाली वित्तीय मदद पर लगाम लगने से आतंकवादी समूहों के साजो-सामान पर भी अंकुश लगा है। फिर मारे गए आतंकवादियों के जनाजे की नमाज में उनके परिजनों के अलावा दूसरे लोगों के इकट्ठा होने, तकरीर और सोशल मीडिया पर उनके प्रसारण पर रोक लगने से भी युवाओं को उकसाने के उनके मंसूबों पर चोट पहुंची है। इस तरह आतंकी संगठन लगातार कमजोर होते गए हैं। इसकी खीज उनमें युवाओं के पुलिस में भर्ती होने से रोकने की कोशिशों और सुरक्षा बलों में भर्ती स्थानीय युवाओं को अगवा कर मार डालने जैसी घटनाओं में कई महीने पहले दिखने लगी थी। पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले को आतंकवाद मुक्त बनाने में कामयाबी हासिल की। यह जिला आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह माना जाता था। पर अब वहां उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनमें किस कदर बौखलाहट बढ़ गई होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर घाटी में विभिन्न जगहों पर अस्थिरता पैदा करने की उनकी कोशिश इसी का नतीजा है।

पाकिस्तान में नई सरकार आई है और उसने विभिन्न मौकों पर यही संदेश देने की कोशिश की है कि वह भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है। पर जिस तरह पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया उससे एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि सेना और खुफिया एजंसी आइएसआइ ही वहां की हुकूमत पर हावी हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौकों पर सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच मिठाई बांट कर खुशी मनाने का रिवाज रहा है, पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी कर इस खुशी के मौके पर खलल डालने का प्रयास किया। पहले ही भारतीय सैनिकों को मार कर उनके शवों को क्षत-विक्षत करने जैसी अशोभनीय हरकतें कर वह कई बार सैन्य मर्यादा का उल्लंघन कर चुकी है। अगर वह इसी तरह दहशतगर्दों के पक्ष में खड़ी होती और उनके जरिए भारत में अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास करती रही तो दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ेगी।

# समाधान और उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट ने नए दिवालिया कानून को संविधान के अनुरूप करार देते हुए सारी अनिश्चितताओं पर विराम लगा दिया है। इससे उन कर्जदारों को झटका लगना स्वाभाविक है जो दिवालिया होने की आड़ में बैंक कर्ज चुकाने से बचने का रास्ता तलाश रहे थे। जब 2016 में यह कानून बना था तब उम्मीद बंधी थी कि अपने को दिवालिया घोषित कर बचने वाले कानून के दायरे में आएंगे और उनसे बकाया वसूला जा सकेगा। तब इस कानून की संवैधानिक वैधता को अदालत में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। अदालत ने सरकार के इस दावे से सहमति भी जताई कि इस कानून के अमल के आने के बाद वसूली में तेजी आई है। दिवालिया कानून के संबंध में अदालत ने जो फैसला सुनाया है, वह कर्जदारों के लिए बड़ी चेतावनी है।

इसमें कोई शक नहीं कि कर्जदारों से निपटना बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। कानूनी दांवपेच के सहारे कर्जदार मामले को अदालत में घसीट लेते हैं और लंबी कानूनी प्रक्रिया का बेजा फायदा उठाते हैं। जानबूझ कर कर्ज नहीं चुकाने की इस संस्कृति से देश की बैंकिंग व्यवस्था को भारी धक्का लगा है और दस लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए खड़ा हो गया। कुछ बैंक तो एनपीए के बोझ तले इतने दब गए थे कि उन्हें बचाने के लिए विलय जैसे समाधान का रास्ता निकालना पड़ा। ऐसे में जरूरी हो गया था कि कर्जदाता की नजर में जो दिवालिया हो गए हैं उनसे वसूली के समाधान निकाले जाएं और इन मामलों को कानूनी जाल में न फंसने दिया जाए। अगर इस कानून पर ईमानदारी के साथ अमल होता है तो फंसे कर्जों की वसूली में तेजी आएगी और वित्तीय क्षेत्र की हालत सुधरेगी।

दिवालिया कानून के तहत किसी व्यक्ति, कंपनी या साझीदार फर्म के दिवालिया होने की सूरत में एक तय समय सीमा में हल निकालने का प्रावधान है और यह तय अवधि एक सौ अस्सी दिन की रखी गई है। यदि इस अवधि में मामला नहीं निपटता है तो कर्जदार की संपत्ति को बेच कर कर्ज चुकाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कत पेश आ रही हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है। अभी तक का अनुभव यह बता रहा है कि ज्यादातर मामले तय समय सीमा में इसलिए नहीं निपट पा रहे हैं क्योंकि इन मामलों की सुनवाई करने वाले राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) के पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इस पंचाट के मात्र तेरह पीठ हैं जो ऐसे मामले देख रहे हैं। यह ठीक वैसा ही हाल है जैसे देश की अदालतों में लाखों मुकदमे लंबित पड़े हैं और न्यायपालिका जजों की भारी कमी से जूझ रही है। इस समस्या पर सरकार को गंभीरता से गौर करने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन उपभोक्ताओं को धक्का जरूर लगा है जिनका पैसा बिल्डरों की आवासीय योजनाओं में लगा हुआ है और इन बिल्डरों ने पैसा चुकाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदने वालों को लेनदार की श्रेणी में नहीं रखा है, जबकि केंद्र सरकार ने दिवालिया कानून में इसका प्रावधान किया था। अब होगा यह है कि बैंक बिल्डर की संपत्ति बेच कर अपना पहले अपना पूरा पैसा वसूलेंगे और फिर जो बचेगा उससे फ्लैट खरीदारों को बचाएंगे। ऐसे में फ्लैट खरीदारों के हित पीछे छूट गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिवालिया कानून को और मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन उपभोक्ताओं को इससे नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

## कल्पमेधा

जो दूसरों को जानता है, वह विद्वान है और जो खुद को जानता है, वह ज्ञानी है।
– लाओत्से

# आइटी प्रतिभाओं का नया दौर

**जयंतीलाल भंडारी**

**निश्चित रूप से अब तक जहां एक ओर अमेरिका में भारत के कुशल पेशेवरों की वीजा संबंधी मुश्किलें और चिंताएं लगातार बढ़ती गई हैं और अमेरिका में सरकार की 'बाय अमेरिका, हायर अमेरिकन' नीति के तहत नई-नई वीजा संबंधी कठोर नीतियां भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं, वहीं अमेरिका के उद्योग-कारोबार को भी दक्ष पेशेवरों की भारी कमी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।**

यकीनन इस समय देश और दुनिया में भारतीय आइटी प्रतिभाओं की अहमियत तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले तक भारतीय पेशेवरों के लिए दुनिया के जो देश दरवाजे बंद करते हुए दिखाई दे रहे थे, वे अब स्वागत के साथ फिर से दरवाजे खोल रहे हैं। हाल में 11 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके एच-1बी वीजा धारकों को आश्वासन दिया कि उनका प्रशासन 2019 में जल्द ऐसे बदलाव करेगा जिससे उन्हें अमेरिका में रुकने का भरोसा मिलेगा और अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए संभावित रास्ता सरल बनेगा। एच-1बी वीजा भारतीय पेशेवरों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और यह वीजा हासिल करना भारत की नई पेशेवर पीढ़ी का सपना भी है। अमेरिका के अचानक बदले इस रुख ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के इस बदले रुख के दो बड़े कारण हैं। एक, अमेरिका के उद्योग-कारोबार प्रतिभाओं की कमी के कारण आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और दूसरा, पहली बार अमेरिका खुद प्रतिभा पलायन की चिंताओं से घिर गया है।

ट्रंप के शासन के पहले दो वर्षों में ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा धारकों के लिए अमेरिका में अधिक समय तक ठहरने, विस्तार पाने और नया वीजा हासिल करने को कठिन बना दिया है। स्थिति यह है कि 9 नवंबर 2018 को वाइट हाउस में नीति समन्वयन के लिए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस ने कहा था कि एक जनवरी 2019 से अमेरिका वीजा संबंधी नीति में बदलाव करने जा रहा है। खासतौर से कुशल पेशेवरों के लिए वीजा संबंधी नियमों में ऐसे नए बदलाव किए जाएंगे, जिससे प्रवासी प्रतिभाओं को काम के लिए अमेरिका आने से हतोत्साहित किया जा सके। अमेरिकी सरकार के अनुसार पांच अक्तूबर 2018 तक अमेरिका में एच-1बी वीजा रखने वालों की संख्या चार लाख उन्नीस हजार छह सौ सैंतीस थी, इनमें से तीन चौथाई यानी तीन लाख नौ हजार नौ सौ छियासी भारतीय मूल के नागरिक थे। एच-1 बी वीजा भारतीय आइटी पेशेवरों के बीच खासा लोकप्रिय है। यह एक गैर-प्रवासी वीजा है जो कि अमेरिकी कंपनियों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति देता है। अमेरिका हर साल पिच्यासी हजार विदेशियों को एच-1बी वीजा जारी करता है। इनमें बीस हजार वीजा अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वालों के लिए हैं। वर्ष 2017 में सड़सठ हजार आठ सौ पंद्रह वीजा भारतीयों को दिए गए थे, जिनमें से 75.6 फीसद आइटी पेशेवर थे। ये आइटी पेशेवर गूगल, आइबीएम, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, फेसबुक और एप्पल जैसी आइटी और इंटरनेट कंपनियों में नौकरी करते हैं। लेकिन अब वर्ष प्रति वर्ष एच-1बी वीजा स्वीकृति की संख्या घटती जा रही है।

निश्चित रूप से अब तक जहां एक ओर अमेरिका में भारत के कुशल पेशेवरों की वीजा संबंधी मुश्किलें और चिंताएं लगातार बढ़ती गई हैं और अमेरिका में सरकार की 'बाय अमेरिका, हायर अमेरिकन' नीति के तहत नई-नई वीजा संबंधी कठोर नीतियां भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं, वहीं अमेरिका के उद्योग-कारोबार को भी दक्ष पेशेवरों की भारी कमी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खासतौर से भारतीय मूल के अमेरिकियों के स्वामित्व वाली छोटी और मझौली कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई। एच-1बी वीजा नियमों में बदलाव को अमेरिका में आइटी कंपनियों के संगठन आइटीसर्व अलायंस ने न्यायालय में चुनौती दी हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप के पेशेवर प्रतिभाओं से संबंधित बदले हुए रुख के कारण भारतीय आइटी पेशेवरों पर आधारित उद्योग-कारोबार को लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। इसी तरह जापान के उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने वाली सरकारी एजेंसी जापान विदेश व्यापार संगठन (जेईटीआरओ) ने कहा कि जापान ने भारत से वर्ष 2020 तक यानी दो वर्षों में दो लाख आइटी पेशेवरों को अपने यहां रखेगा।

इतना ही नहीं अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय आइटी प्रतिभाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपने ग्लोबल इन-हाउस सेंटर (जीआइसी) तेजी से बढ़ा रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमता और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए लागत और प्रतिभा के अलावा नई प्रोद्यौगिकी और स्टार्टअप माहौल के चलते दुनिया की कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। 31 दिसंबर, 2018 तक भारत में करीब एक हजार दो सौ सत्तावन जीआइसी हैं। इनमें से नौ सौ सत्तर का जोर पूरी तरह शोध एवं विकास पर हैं। इनमें से छह सौ चौंतीस अमेरिका और कनाडा के, दो सौ तिरसठ यूरोप और पश्चिम एशिया के तथा तिहत्तर एशिया व प्रशांत क्षेत्र से संबंधित हैं। यह माना जा रहा है कि प्रतिभाशाली आइटी पेशेवरों के कारण भारत में शोध व विकास में अपार संभावनाएं हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों और विदेशों में कार्य कर रही भारत की नई पीढ़ी की श्रेष्ठता को स्वीकार्यता मिली है। आइटी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त आदि के क्षेत्र में दुनिया में भारतीय प्रवासी सबसे आगे हैं। जहां दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में भारतीय प्रतिभाओं का स्वागत हो रहा है, वहीं दुनिया के कई देशों की कंपनियाँ भारत में आकर भारतीय आइटी प्रतिभाओं की मदद से अपने उद्योग-कारोबार को ऊंचाइयां दे रही हैं।

निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के कारण भारत की नई पीढ़ी के लिए देश और दुनिया में उज्ज्वल भविष्य की संभावना रहेगी। मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रोजगार से संबंधित अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के कारण अस्सी करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यदि हम चाहते हैं कि दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के कारण जो नौकरियां घटेंगी, उनका भारत की नई पीढ़ी फायदा ले तो हमें अपने युवाओं को कौशल विकास से प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से शिक्षित करना होगा। उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही नई पीढ़ी को कौशल विकास और रोजगार की जरूरत के अनुरूप मानव संसाधन के रूप में गढ़ना होगा। इन सबके साथ-साथ भारतीय आइटी कंपनियों के द्वारा तकनीक में बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार रोबोट से बढ़ती रोजगार चिंताओं पर ध्यान दे और रोबोट की कार्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रशिक्षण की नई रणनीति बनाए। इस परिप्रेक्ष्य में पिछले दिनों इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय ने तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों के संगठन नैस्काम के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियल्टी, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस, क्लाउड कम्प्यूटिंग, सोशल मीडिया-मोबाइल जैसे आठ नए तकनीकी क्षेत्रों में 55 नई भूमिकाओं में वर्ष 2020 तक 90 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का जो अनुबंध किया है, उसे कारगर तरीके से कार्यान्वित करना होगा। हम आशा करें कि अमेरिका से ट्रंप के ट्वीट के द्वारा भारतीय पेशेवरों के लिए जो शुभ संकेत आया है, वैसे ही शुभ संकेत अब आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों से भी आएँ जहाँ भारतीय पेशेवरों की राह में रोड़े डाले जा रहे हैं। इसी प्रकार दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के कारण रोजगार के जो नए मौके बनेंगे, वे हमारी मुट्ठियों में आएं। इसके लिए सरकार और उद्योग-कारोबार एवं तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े संगठनों को आने वाले वर्षों में देश और दुनिया की जरूरतों के मुताबिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करके कार्यक्षम बनाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

# अकेलेपन का अंधेरा

**दीपक गिरकर**

एक ओर अकेलेपन और अवसाद से निपटने के लिए ब्रिटेन में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया और दूसरी ओर ब्रिटेन यूरोपियन संघ से अलग होने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि ब्रिटेन और यूरोपियन संघ के बीच ब्रेग्जिट के रूप में चल रही प्रक्रिया की वजह से ब्रिटेन में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हम समाज में देखते है कि पति और पत्नी के बीच चल रही तलाक की प्रक्रिया के दौरान ही पति और पत्नी तो गहरे अवसाद से ग्रस्त होकर अवसाद के शिकार हो जाते है और साथ ही इनके बच्चें, इनका पूरा परिवार अवसाद से ग्रसित हो जाता हैं। तलाक से अकेलापन आता है और अकेलेपन से अवसाद, तनाव, व्याकुलता बढ़ जाती है और व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है।

पुराने जमाने में अकेलेपन और अवसाद के शिकार लोग हमारे देश की अपेक्षा विदेशों में अधिक होते थे, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था और संयुक्त परिवार की परंपरा की वजह से लोगों को अकेलेपन का अहसास ही नहीं होता था। लेकिन अब एकल परिवार व्यवस्था, सोशल मीडिया और गैजेट्स के इस्तेमाल से हमारे देश में भी अकेलापन बढ़ता जा रहा है। आभासी दुनिया में हजारों के संपर्क में होने के भ्रम के बरक्स दूसरी स्थिति यह है कि सोशल मीडिया और गैजेट्स की वजह से एक ही परिवार में संवादहीनता की स्थिति निर्मित हो गई है। इस एकल परिवार की व्यवस्था और संवादहीनता के कारण ही समाज में टूटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक ही मकान में रहने वालों के बीच की दूरी उन्हें अलगाव की स्थिति तक ले जा रही है।

**दुनिया मेरे आगे**

पुराने समय में हमारे देश में बच्चों की शिक्षा गुरुकुल में होती थी, लेकिन वहां बच्चों को हर तरह की शिक्षा मिलती थी। गुरुकुल की व्यवस्था एक बड़े परिवार की तरह होती थी। वहां बच्चे अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद अकेलेपन का अनुभव नहीं करते थे। आजकल अपने घर से दूर रख कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद अपना कॅरियर बनाने के लिए दूर किसी शहर में रह कर वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे तमाम बच्चे अपने में ही सिमट कर रह जाते हैं। वे अपने परिवार, मित्रों और समाज से पूरी तरह से दूर होकर अपना पूरा समय और ध्यान प्रतियोगी परीक्षा में लगा देते हैं। यहां तक ठीक है। लेकिन जब अनुकूल सफलता नहीं मिल पाती है तो अवसाद से ग्रस्त होकर वे काफी तनाव में आ जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं।

हाल में तो यह भी खबर आई कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले कई मेधावी ग्रामीण विद्यार्थी भी अकेलेपन की वजह से अवसाद से ग्रसित होकर आत्महत्या कर रहे हैं। एकाकीपन का असर मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। एक शोध के मुताबिक अकेले रहने वाले लोगों में समय से पहले मौत की संभावना पचास फीसदी बढ़ जाती है। अवसाद किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। अकेलेपन और अवसाद से नकारात्मक सोच का विकास होता है और इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। नकारात्मक सोच के कारण अवसादग्रस्त लोग आत्महत्या का विचार करने लगते हैं।

सच यह है कि वर्तमान शिक्षा घोड़ों की रेस की तरह हो गी है। जिस तरह इसके शौकीन लोग अपना पैसा लगा कर सट्टा खेलते हैं, उसी तरह आजकल के अभिभावक अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग कक्षाओं में प्रवेश करवा कर इस उम्मीद में रहते है कि हमारा बच्चा ही रेस जीतेगा। घोड़ों की रेस में घोड़ों की इच्छा का कोई महत्त्व नहीं होता है। उसी प्रकार बच्चों के कॅरियर के लिए उनकी इच्छाओं को नजरअंदाज किया जाता है। अभिभावकों ने बच्चों पर अपनी इच्छाएं और महत्त्वाकांक्षाएं नहीं थोपनी चाहिए।

आज सकारात्मक सोच की शिक्षा की आवश्यकता है। सकारात्मक विचारों से शरीर की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे हारमोनों का प्रवाह शरीर और मन को एक नई ऊर्जा से भर देता है, जिससे जीवन में उत्साह जागृत हो जाता है। एक सप्ताह में कम से कम दो घंटे अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों या अपने दोस्तों के साथ गुजारने और अपने मन की बात उनसे साझा करने से एकाकीपन और नकारात्मक विचारों से निजात पाई जा सकती है। अधिकतर महान लोगों को जो सफलता मिली थी, वह पहले प्रयास में नहीं मिली थी। महान शख्सियतों के जीवन-चरित्र को पढ़ कर अपनी सहनशीलता बढ़ाई जा सकती है। अगर समाज में मेलजोल और सद्भाव की सहजता हो और एकाकीपन से उपजे अवसाद से निपटने के लिए जब अपनों का साथ हो तो इसके लिए अलग से मंत्रालय गठित करने, मनोचिकित्सक या परामर्शदाता को नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनों के साथ से ही जीवन में ऊर्जा का संचार बना रहता है और अवसाद नाम की बीमारी पास नहीं फटकती है।

# गणतंत्र की विरासत

आज हम सब 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इतने सालों में हमने अपनी विरासत को कितना सुरक्षित रखा, इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देश की अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए समाज की अखंडता जरूरी है। आज भारतीय समाज कई मुद्दों पर बंटता नजर आ रहा है और लोगों के बीच धर्म, पंथ, जाति की खाई बढ़ती जा रही है। 1950 को यह घोषित किया गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है और 'विविधता में एकता' ही इसकी पहचान है। आज हम कितने बदल गए जो हम अपनी दूषित भावना से भारत की महान विभूतियों को उनके समकालीन उनको जातिवाद या पंथवाद की भावनाओं में जकड़ा हुआ देखते हैं। मौजूदा समय में कभी नेहरू तो कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर पक्षपात होता तो कहीं आंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है और कहीं सुभाष चंद्र बोस पर यह दोष लगाया जाता है कि उन्होंने हिटलर का साथ दिया और 70 साल बाद भी सरदार भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला इत्यादि। कई ऐसे पहलू हैं जिनके मूल्यांकन से पता चलता है कि गणतंत्र की विरासत सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए नेहरू, पटेल, गांधी, आंबेडकर को आगे करते हैं और सत्ता में आने के बाद उनको सरदार की अखंडता और नेहरू की विदेश नीति पर संदेह होने लगता है और वे उसमें कमी देखते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अच्छा जीवन जीने के लिए मूल अधिकारों का हवाला देता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि वह मूल कर्तव्यों को भी याद रखें और भारत की अक्षुण विरासत को सुरक्षित रखें। सही मायने में यह श्रद्धांजलि उन तमाम वीर सपूतों के नाम होगी जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज ना हो सका और वह आजाद भारत का सपना लिए उस लड़ाई में कुर्बान हो गए।

● *सुशील प्रभाकर, जालौन*

## गणतंत्र और आत्ममंथन

हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर लगभग हर संस्था में झंडा फहराया गया। हर चेहरे पर मुस्कान और गर्व का भाव दिखा। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शारीरिक आदि नूतन और पौराणिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देश बेशक गणतंत्र दिवस पर खुशियां मना रहा हो, लेकिन आज भी देश में इतनी समस्याएं हैं कि उनकी ओर धयान देना जरूरी है। आज भी देश में संविधान पूर्णतः पुष्पित, पल्लवित नहीं हो पाया है। समाज में आज भी जाति, भाषा, संप्रदाय आदि को लेकर परस्पर ऊंच-नीच और भेदभाव है। विदेशी ताकतों द्वारा रचित चक्रव्यूह ने अभी तक आपको गुलाम बनाए रखा है, जबकि आज हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन बावजूद इसके हम संकीर्ण मानसिकता के शिकार हैं। हमारे महापुरुषों ने जाति को खत्म करने की बात की। उन्होंने कई आंदोलन किए लेकिन आज समाज में जाति को खत्म करने के बजाए राजनीतिक वोटों के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस हमें प्रण करना चाहिए कि इस जाति और वंशवाद की राजनीति को खत्म करना है। इस गणतंत्र दिवस पर हमें आत्ममंथन करना चाहिए। तभी लोकतंत्र को बचाया जा सकता है।

● *पदमाराम आंजणा, बाड़मेर*

## नागरिकता और संकट

बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जहां देश जूझ रहा है, वहीं अवैध अप्रवासी लोगों को स्थायी नागरिक बनाने के लिए न्योता दिया जा रहा है। नागरिकता संशोधन विधेयक पिछले कई महीनों से चर्चा और विवाद का विषय रहा है। इस विधेयक के पास हो जाने के बाद पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रह रहे अवैध अल्पसंख्यक अप्रवासी हिंदू, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोग आसानी से भारत के नागरिक हो जाएंगे, सिवाय मुसलमानों के। इस विधेयक के अनुसार बिना किसी प्रमाण और मात्र छह साल से रह रहा अल्पसंख्यक अवैध प्रवासी भारत की नागरिकता आसानी से हासिल कर सकेगा। यह कदम जितना सराहनीय लगता है, उतना ही विचारणीय है। किसी को आश्रय देना ठीक है, लेकिन उसके लिए खुद की छत का मजबूत होना भी जरूरी है। किसानों की समस्याएं, गरीबी, बेरोजगारी ऐसे मुद्दे देश में प्रमुख हैं। दूसरी समस्या मूलभूत आवश्कताओं और साधनों के अभाव से भी देश हमेशा से त्रस्त रहा है। ऐसे में दूसरे पड़ोसी देशों की एक बड़ी जनसंख्या का निर्वाह करना किसी भी विकासशील देश के लिए सक्षम कैसे हो सकता है? इस तरह न अवैध प्रवासियों के जीवन में कोई सुधार होगा और न मौजूदा नागरिकों के जीवन में। पूर्वोत्तर देशों के लोगों में भी सरकार को लेकर रोष है। इसलिए वहां के लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध करते दिख रहे हैं। सरकार को अवैध प्रवासी लोगों के लिए पड़ोसी देशों से बात करनी चाहिए और विधेयक के पास होने पर उसके परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए।

● *प्रिंस शर्मा, दिल्ली विवि*

## बढ़ते सड़क हादसे

बीते दशकों में कई गुना सड़क हादसे बढ़े हैं। सड़क हादसों के दौरान केवल वाहन चलाने वाले व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि पैदल चल रहे लोग भी हादसों का शिकार बनते हैं। इन हादसों की वजह लोगों को सड़क नियमों के बारे में पूरी जानकारी का न होना है। इसलिए उनका पालन नहीं करते। इन हादसों से बचने के लिए कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 13 लाख लोगों की मृत्यु हर साल सड़क हादसों में होती है। सड़क हादसों के बचाव के लिए सड़क सुरक्षा जरूरी है। हर रोज लगभग 300 लोग इन सड़क हादसों में मरते हैं। विश्व में सड़क हादसों में अधिकांश युवा हैं। रोज इसमें मरने वाले लोगों में लगभग 60 फीसद युवा 15 से 29 के बीच की आयु के होते हैं। इतनी आधुनिकता के बावजुद भी लाखों लोग इन सड़क हादसों में मर रहे हैं।

● *संध्या, दिल्ली विवि*

**किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश**

**आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com**